

152



न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र नि.रे. 24383/PB/16

शिवचरणलाल पिता सुशीराम आयु 80 वर्ष
जाति अग्रवाल निवासी श्रीनगर कालोनी,
शुजालपुर मंडी तहसील शुजालपुर जिला
शाजापुर म.प्र.आवेदक

विरुद्ध

1. विनोद कुमार पिता छगनलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 19, भानजी भाई मार्ग, शुजालपुर मंडी
2. मानसिंह पिता फतेहलाल चौरडिया जाति जैन निवासी आर्वी जिला वर्धा महाराष्ट्र
3. सूरजबाई पिता फतेहलाल चौरडिया जाति जैन निवासी लोणार जिला बुलढाणा महाराष्ट्र
4. निर्मलाबाई पिता फतेहलाल पत्नि कैलाशचंद्र धारीवाल जाति जैन निवासी ओसवाल सेरी, स्वामी विवेकानंद मार्ग, जयहिंद टाकीज के पास, शुजालपुर सिटी
.....अनावेदकगण

श्री आनंद मालवीया तहसीलदार शुजालपुर
द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्र
23अ6/15-16 में पारित आदेश दिनांक
06/12/16 के विरुद्ध निगरानी धारा 50
म.प्र.भू.रा.संहिता में

महोदय,

आवेदक की निगरानी का आवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है।

निरंतर.....2

(Handwritten signature and scribbles)

*श्री पी.क. गुप्ता, श्री अरुण
भाय मध्य जिले के न्यायालय
22-12-16*



CF-20-1-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4383पीबीआर/16

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री पी.के. गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ०३.०१.१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	